ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-10* January-2021
Anthology : The Research

भारतीय सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में विदेशी समाचार पत्रों की प्रासंगिकता

Relevance of Foreign Newspapers in The Context of Indian Cultural Consciousness

Paper Submission: 10/01/2021, Date of Acceptance: 18/01/2021, Date of Publication: 19/01/2021

विश्वनाथ सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,
विधि विभाग,
राजकीय विधि महाविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान, भारत

सारांश

समाचार पत्रों की भूमिका आधुनिक समय में महत्त्वपूर्ण हो चुकी है। समाचार पत्र बौद्धिक पोषण के साथ–साथ देश की ज्वलन्त समस्याओं, सामाजिक सरोकारों, लोगों में जागरूकता फैलाना तथा देश के सजग प्रहरी के रूप में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के संदर्भ में कोई पृथक अनुच्छेद न होकर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। इस सन्दर्भ में विदेशी समाचार पत्रों के भारत में प्रकाशन हेतु संवैधानिक दृष्टिकोण से मीमांसा एवं इसकी उपादेयता तथा इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाना भारतीय सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में समीचीन एवं प्रासंगिक है।

The role of newspapers has become important in modern times. Along with intellectual nourishment, the newspaper also plays a major role as vigilant guardian of the country's burning problems, social concerns, spreading awareness among the people. In the context of the freedom of newspapers under the Indian Constitution, no separate article has been incorporated through judicial illustrations under freedom of speech and expression. In this context, the study of epistemology and its utility and its implications from the constitutional point of view for publication of foreign newspapers in India is relevant and relevant in the context of Indian cultural consciousness.

मुख्य शब्द : भारतीय संविधान, समाचार पत्र, मीडिया, प्रेस, प्रसारण।
Indian Constitution, Newspapers, Media, Press, Broadcasting.

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19(1)क[1] में केवल भारतीय नागरिकों[2] को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वांतत्र्य का अधिकार प्रदान किया गया है परन्तु न्यायिक निर्णयों द्वारा अपरोक्त अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित कर लिया गया है[3], क्योंकि भारत में अमेरिकी संविधान की भांति प्रेस की स्वतंत्रता के लिए विशिष्ट अनुच्छेद[4] निर्मित नहीं किया गया है।[5] जहां तक विदेशी समचार पत्र की अनुमति देने का प्रश्न है इस संदर्भ में सरकार की वर्तमान तक की नीति 1956 के मंत्रिमंडलीय फैसले[6] पर आधारित रही है जिसके अन्तर्गत सरकार ने विदेशी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को भारत में प्रकाशन की अनुमति नहीं प्रदान की है किन्तु आर्थिक उदारवाद के इस दौर में विदेशी समाचार पत्रों को अनुमति देना सरकार के लिए बाध्यकारी प्रतीत हो रहा है। क्योंकि विदेशी मीडिया के प्रसारण की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो चुकी है। उदाहरण के लिए उपग्रहों द्वारा प्रसारित विभिन्न दूरदर्शन प्रसारणों जैसे स्टार टी.वी., जी.टी.वी., सी.एन.एन को बिना किसी विशेष कठिनाई के स्वीकार कर लिया है और इससे कहीं ज्यादा समय से हम बी.बी.सी. लन्दन, वायस आव अमेरिका, वायस आफ जर्मनी सहित अन्य ढेर सारे विदेशी रेडियो प्रसारणों को सुनते आ रहे हैं। इसलिए जब विदेशी समाचार पत्रों के आगमन की बात प्ररम्भ हुयी तो इसकी उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं हुयी जो सरकार व जनता को आन्दोलित करे।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में विदेशी समाचार पत्रों की प्रासंगिकता का अध्ययन करना है।

विषय विस्तार

आर्थिक उदारीकरण को समर्थन देने वाला एक वर्ग देश में तैयार हो गया है जो सारी चीजों को अर्थशास्त्रीय नजरिये से देखने की सनक का शिकार है इसलिए यह वर्ग विदेशी अखबारों को भी भारतीय क्षेत्र में प्रकाशन व प्रसारण का अधिकार देने में कोई बुराई नहीं देख रहा है इस वर्ग का प्रमुख तर्क है कि इससे अखबारों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से गुणवत्ता में सुधार होगा साथ ही समाचार पत्रों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। ऐसा कहते हुए इनके मस्तिष्क में यह बात कहीं न कहीं कुरेदती है कि विदेशी समाचार पत्र और उनकी सम्बद्ध सूचना एजेंसियाँ किसी भी कीमत पर अपनी विश्वसनीयता और निरपेक्षता बनाए रखती है। हालांकि व्यवहार में यह बात उनके विश्वास जितनी सही हो, ऐसा है नहीं। जनसंचार माध्यम के विशेषज्ञों द्वारा यह स्वीकार किया जा चुका है कि विदेशी समाचार पत्रों का दृष्टिकोण विभिन्न विषयों के प्रति वह नहीं होता जिसकी हमारे राष्ट्रीय हित अपेक्षा रखते हैं। जहां तक सूचनाओं की विश्वसनीयता और प्रस्तुतीकरण के ढंग का प्रश्न है वह भी पूर्वाग्रहों से सर्वथा मुक्त हो, ऐसा संभव नहीं जान पड़ता।

उपर्युक्त प्रश्न की मीमांसा यदि वस्तुनिष्ठ और व्यावहारिक दृष्टि से करनी हो तो सर्वप्रथम हमें सूचना–समाचार माध्यमों के उद्देश्यों को सामने रखना होगा और विदेशी पूंजीपतियों द्वारा संचालित अखबरों के आर्थिक आशयों तथा स्वदेशी राजनैतिक सामाजिक आर्थिक हितों को आमने–सामने रखकर विचार करना होगा। चूंकि अखबार व दृश्य–श्रव्य दूरदर्शन–रेडियो प्रसारणों की प्रकृति और सामर्थ्य में मौलिक अन्तर है और चिन्तन, विचारों की गहन मीमांसा का स्थायी माध्यम अखबारों द्वारा ही संभव है अतः इस क्षेत्र में विदेशी अखबारों को अनुमति देने का प्रश्न गंभीर है।

भारतीय जनमानस तक इस संदर्भ में जो संदेश पहुंच रहा है वह यह है कि इससे भारतीय समाचार पत्रों के पूंजीपति व मालिकों के व्यावसायिक हित प्रमुख रूप से प्रभावित होंगे जबकि यह सत्यता का एक अंश मात्र है। इसी प्रकार समाचार पत्रों से जुड़े सम्पादक, पत्रकार और अन्य बुद्धिजीवियों के विरोध को भी पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है ऐसी स्थिति में इस प्रश्न की बारीकियों से जनता को परिचित कराना अपरिहार्य हो गया है। जनता को यह समझाना जरूरी है कि यह प्रश्न भारतीय अखबार मालिकों अखबार से सम्बद्ध कर्मचारियों का भविष्य निर्धारित होगा। भारतीय पूंजीपति पत्रकार या पत्रों से जुड़ा कोई भी भारतीय राष्ट्रीय हितों की कीमत पर व्यावसायिक हित साधे यह अपवाद रूप में तो घट सकता है। जबकि भारी विदेशी पूंजी से संचालित विदेशी अखबार भारत में प्रकाशन अधिकार पाने के बाद अपनी नीति विशुद्ध रूप से आर्थिक व व्यावसायिक हितों को ध्यान में रख कर तय करेंगे। उनकी कार्यनीति का प्रमुख बिन्दु होगा देशी समाचार पत्र उद्योग को धक्का पहुंचाना और यथाशीघ्र भारतीय सूचना समाचार क्षेत्र में एकाधिकार पाना। इसके बाद हम दुनिया और अपने देश को उनकी आंखों से देखने को बाध्य होंगे। उनके दृष्टिकोण में समस्याओं का विश्लेषण करेंगे और उनके परामर्श से अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे। यह भी संभव है कि हम अपनी आर्थिक–सामाजिक नीतियों के समर्थन के लिए उनके अनुमति की प्रतीक्षा करें। इसके अतिरिक्त निहित स्वार्थों वाली वर्तमान राजनीति उनके समर्थन की संभावना में उनके इशारों पर तय हो। उदाहरण स्वरूप लंदन टाइम्स और न्यूयार्क टाइम्स भारतीय खबरों को तब ही महत्व देते हैं। जब कोई मामला भारत के विरूद्ध जाता है। ऐसी स्थिति में वे उसे बढ़ा चढ़ा कर और विदेशी रंग का सम्मिश्रण लोगों को संप्रेषित करते हैं, आपरेशन ब्लू स्टार, अयोध्या कांड, साम्प्रदायिक दंगे, मुम्बई बम धमाके, कश्मीर का उग्रवाद, अनुच्छेद 370 में संशोधन पृथक राज्यों की मांग, विदेशी नागरिक संशोधन कानून कृषि सुधार कानूनों से उपजे किसान आंदोलन को विदेशी अखबारों ने जितना सुर्ख तरीके से छापा शायद भारतीय अखबार नहीं छाप सके। जो भारत की छवि को निरंतर विश्व क्षितिज पर धूमिल करता रहा। अखबार उत्पाद होते हुए भी अखबार को न तो ओढा जा सकता है और न ही अन्य वस्तुओं की तरह दीर्घ समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। अखबार तो एक मिशन है, बौद्धिक खुराक है, देश का सजग प्रहरी है और घटनाओं का जागरूक प्रतिबिम्ब।

भारत आज भी आर्थिक और सामाजिक दोनों ही आयामों पर संक्रमण काल से गुजर रहा है। सामाजिक मोर्चे पर जहां सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, क्षेत्रीयता जैसी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियां हमें चुनौती दे रही हैं, वहीं विकास की धीमी गति, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, आय का असमान वितरण, कुपोषण, अशिक्षा, शोषण जैसे त्रासद लक्षण हमारी आर्थिक संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके समाधान हेतु प्रगति भले ही बहुत सराहनीय न हों फिर भी उम्मीद अवश्य जगाती है। विकास की इस प्रक्रिया में सामाचार–पत्रों की अहम भूमिका रही है। आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने का दायित्व काफी हद तक उन्हीं का है।

देश के इतिहास और संस्कृति से सकारात्मक परिचय कराने का काम देश के अखबारों ने अपने जन्म से ही किया है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला होती है।[7] भारतीय संस्कृति की गौरवशाली शाश्वत आत्मा से भारतीय जीवन की निकटता बनाए रखने में भी समाचार माध्यमों की भूमिका विशिष्ट रही है, स्वाधीनता संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में विदेशी सूचना माध्यम उपनिवेशवाद के पृष्ठपोषण की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर नहीं उठ सके थे। वहीं आजादी का संघर्ष जीतने के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने चुनौतियों का सामना जिस सक्रियता से किया और जिस प्रकार भी राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्ध पत्रकारिता की अपेक्षा देश को है वह विदेशी अखबार पूरी करेंगे उसमें संदेह है। आज का एक भी

निर्णय 130 करोड़ लोगों के भविष्य का हन्ता साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

मार्क ट्वेन ने एक बार प्रसंगवश यह कहा था कि संसार के कोने–कोने में प्रकाश फैलाने के दो ही स्त्रोत हैं, आकाश में सूर्य और धरती पर एसोसिएटेड प्रेस। यह गर्वोक्ति अवश्य है परन्तु यह एक सच भी उद्घाटित करती है। आज की दुनिया में मीडिया एक शक्तिशाली ताकत है, इस मीडिया ने दुनिया को सच को अपनी आंखों से देखने को विवश कर दिया है। आज सच, सच होने के लिए मीडिया का मुखापेक्षी है। ब्रिटेन की संसद की शक्ति के असीमित विस्तार को इंगित करते हुए किसी ने कहा था कि वह सब कुछ कर सकती है, सिर्फ स्त्री को पुरूष और पुरूष को स्त्री नहीं बना सकती। मीडिया की ताकत संभवतः ब्रिटिश पार्लियामेंट से कहीं अधिक हो गयी है, क्योंकि यदि वह पुरूष को स्त्री कह दे तो लोग विश्वास कर जायेंगे। मीडिया की इस ताकत को दृष्टि में रखते हुए विदेशी समाचार पत्रों को देश में प्रकाशन–प्रसारण का अधिकार सौंपना आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, समाचार–पत्रों की राजनैतिक भूमिका आज सबसे अहम है। देश की राजनैतिक प्रणाली का आईना समाचार पत्र ही है। इस भूमिका में ये जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, किसी भी राजनैतिक व्यक्ति या दल की छवि इसी फलक पर बनती बिगडती है। राजनैतिक नेतृत्व को जांचना, जनमत निर्माण, स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति की रचना और पोषण, सरकार और प्रशासन पर अंकुश जैसे महत्वपूर्ण कार्य समाचार पत्र और सूचना माध्यमों के पास है, स्वाभाविकता ये महान दायित्व उत्कट राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, स्वस्थ सकारात्मक दृष्टिकोण, दूरदर्शी और पेशेवर समर्पण की मांग करते हैं। भारतीय समाचार पत्र यद्यपि पूंजीपतियों के द्वारा संचालित होते रहे हैं, लेकिन वे पेशेवर ईमानदारी की कसौटी पर इक्का–दुक्का अपवादों को छोड़कर सदैव खरे उतरे हैं। फिर वह कौन सी रिक्तता है, जिसे भरने के लिए विदेशी समाचार पत्रों को ले आना जरूरी हो गया है। अगर विदेशी अखबारों की घुसपैठ भारत में होती है तो वह घुसपैठ राजनैतिक प्रक्रिया में भी होगी और यह ऐसी परिस्थिति तक ले जायेगी, जहां हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र होते हुए भी मानसिक तौर पर गुलामी की बेड़ियों में होंगे। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर समाचार पत्रों के संगठन एकजुट होकर विदेशी अखबारों के भारत में प्रस्तावित प्रकाशन के विरूद्ध अपनी आवाज बुलंद करें। जनता, पाठक वर्ग और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार का यह विशेष दायित्व बनता है कि वह पैनी नजर से देखें कि इन विदेशी अखबारों को न तो आमंत्रित किया जाए और न ही इन के आगमन का वातावरण तैयार किया जाए। जिससे भारतीय सांस्कृतिक चेतना से भारतीय संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Constitution of India, D.D. Basu, 8th Edition, 2007, P-2086*
2. *State of Gujrat V. Ambica Mills Ltd. AIR 1977 SC 1300*
3. *Dr. Amedkar's Speech in Constituent Assembly Debates Vol.-II, P-980*
4. *H.M. Seervari Constitutional Law of India, 4th Edition, Vol. 1, P-911*
5. *Constitutional Law of India, J.N. Pandey, 52nd edition, 2015, P-199*
6. *Press Note No. 1 (2009), Government of India Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy & Promotion (FC Section)*
7. *Ramesh Thaper V. State of Madras AIR 1950 SC124*